

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितंबर, 2018

का.आ. 4856 (अ).— केन्द्रीय सरकार, प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2018 का 38) की धारा 10 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 30 सितम्बर, 2018 को "राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण" नाम से त्वात राज्य प्राधिकरण के गठन की तारीख के रूप में निम्नलिखित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में नियत करती है।

क्र.सं.	राज्य प्राधिकरण का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	आन्ध्र प्रदेश प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	आन्ध्र प्रदेश
2.	अरुणाचल प्रदेश प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	अरुणाचल प्रदेश
3.	असम प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	असम
4.	बिहार प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	बिहार
5.	छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	छत्तीसगढ़
6.	गोवा प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	गोवा
7.	गुजरात प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	गुजरात
8.	हरियाणा प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	हरियाणा
9.	हिमाचल प्रदेश प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	हिमाचल प्रदेश
10.	झारखंड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	झारखंड
11.	कर्नाटक प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	कर्नाटक
12.	केरल प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	केरल
13.	मध्य प्रदेश प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	मध्य प्रदेश
14.	महाराष्ट्र प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	महाराष्ट्र
15.	मणिपुर प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	मणिपुर
16.	मेघालय प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	मेघालय
17.	मिजोरम प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	मिजोरम
18.	ओडिशा प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	ओडिशा
19.	पंजाब प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	पंजाब
20.	राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	राजस्थान
21.	मिक्किम प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	मिक्किम
22.	तमिलनाडु प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	तमिलनाडु
23.	तेलंगाना प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	तेलंगाना
24.	त्रिपुरा प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	त्रिपुरा
25.	उत्तर प्रदेश प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	उत्तर प्रदेश
26.	उत्तराखंड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	उत्तराखंड
27.	पश्चिम बंगाल प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	पश्चिम बंगाल

[ भाग II-खण्ड 3(ii) ]

भारत का राजपत्र : असाधारण

3

28.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
29.	चंडीगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	चंडीगढ़
30.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
31.	दादरा नगर हवेली प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	दादरा नगर हवेली

[फा.सं. 11-100/2015-एफसी (खंड III)]

दीपक कुमार सिन्हा, वन महानिरीक्षक

## NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2018

S.O. 4856(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the Compensatory Afforestation Fund Act, 2016 (38 of 2018), the Central Government hereby appoints the 30th day of September, 2018, as the date of constitution of State Authorities. to be called the "State Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority" in the following States and Union territories :—

S.N.	Name of State Authorities	States /Union territories
(1)	(2)	(3)
1	The Andhra Pradesh Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Andhra Pradesh
2	The Arunachal Pradesh Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Arunachal Pradesh
3	The Assam Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Assam
4	The Bihar Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Bihar
5	The Chhattisgarh Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Chhattisgarh
6	The Goa Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Goa
7	The Gujarat Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Gujarat
8	The Haryana Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Haryana
9	The Himachal Pradesh Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Himachal Pradesh
10	The Jharkhand Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Jharkhand
11	The Karnataka Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Karnataka
12	The Kerala Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority -Kerala	Kerala
13	The Madhya Pradesh Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Madhya Pradesh
14	The Maharashtra Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Maharashtra
15	The Manipur Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Manipur

16	The Meghalaya Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Meghalaya
17	The Mizoram Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Mizoram
18	The Odisha Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Odisha
19	The Punjab Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Punjab
20	The Rajasthan Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Rajasthan
21	The Sikkim Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Sikkim
22	The Tamil Nadu Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Tamil Nadu
23	The Telangana Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Telangana
24	The Tripura Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Tripura
25	The Uttar Pradesh Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Uttar Pradesh
26	The Uttarakhand Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Uttarakhand
27	The West Bengal Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	West Bengal
28	The Andaman and Nicobar Islands Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Andaman and Nicobar Islands
29	The Chandigarh Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Chandigarh
30	The National Capital Territory Delhi Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	National Capital Territory Delhi
31	The Dadra Nagar Haveli Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Dadra Nagar Haveli

[F No 11-100/2015-FC (Vol. III)]

DEEPAK KUMAR SINHA, Inspector General of Forest

उत्तर प्रदेश शासन  
वन एवं वन्यजीव अनुभाग-4  
संख्या-130/14-4-2019-144जी/2018  
लखनऊ, दिनांक-22 फरवरी, 2019  
अधिसूचना


प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम 2016 (2016 का 38) की धारा 4 की उपधारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल एतद्वारा इस अधिसूचना को जारी करने की तारीख से उत्तर प्रदेश राज्य की लोकलेखा के ब्याज अर्जित करने वाले खण्ड के अधीन मुख्य शीर्ष 8121-"सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ" के अन्तर्गत लघु शीर्ष "129-राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि (एस.सी.ए.एफ.)" के अधीन "राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि-उत्तर प्रदेश" के नाम से ज्ञात एक विशेष निधि के रूप में स्थापित करते हैं।

कल्पना अवस्थी  
प्रमुख सचिव

संख्या-130(1)/14-4-2019 तददिनांक


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ०प्र०।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र०।
- 3- निजी सचिव, मा० वन मंत्री, उ०प्र०।
- 4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 5- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन।
- 6- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 7- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र० लखनऊ।
- 8- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ०प्र० लखनऊ।
- 9- वन महानिरीक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय प्राधिकरण, (कैम्पा) वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग, नई दिल्ली-110003।
- 10- मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कैम्पा, उ०प्र०।
- 11-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को सी०डी० सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे असाधारण गजट में प्रकाशित कराते हुए अधिसूचना की 25 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 12-गार्ड फाईल/वन एवं वन्य जीव अनुभाग-1.2.3.5. उ०प्र० शासन।

  
(संजय सिंह)  
सचिव।

संख्या-130(2)14/4-2019 तददिनांक

प्रतिलिपि सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग, नई दिल्ली-110003 को सूचनार्थ प्रेषित।

  
(संजय सिंह)  
सचिव।

Uttar Pradesh Shasan  
Van avam Vanya Jeev Anubhag-4  
No.- 130/ 14-4-2019-144 G/2018  
Lucknow, Date-21 February, 2019

Notification

In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 4 of the Compensatory Afforestation Fund Act, 2016 (38 of 2016), the Governor hereby establishes from the date of issue of this notification, A Special Fund called the "State Compensatory Afforestation Fund-Uttar Pradesh" under interest bearing section of Public Account of State-Uttar Pradesh under a distinct Minor head 129-"State Compensatory Afforestation Fund (SCAF)" below the "Major head 8121-"General and other Reserve Funds".

Kalpana Awasthi  
Principal Secretary

No- 130 (1)14/4-2019 Dt. as above

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

- 1- PS to Secretary to the Hon'ble Governor, UP.
- 2- PS to Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister, UP.
- 3- PS to Forest Minister, UP.
- 4- PS to Chief Secretary.
- 5- All Additional Chief secretaries / Principal Secretaries secretaries, Government of UP.
- 6- Accountant general (A&E), Uttar Pradesh, Allahabad
- 7- Principal Chief Conservator of Forests & HOFF, UP.
- 8- Principal Chief Conservator of Forests , Wildlife, UP.
- 9- Chief Conservator of Forests (CAMPA), UP.
- 10- Director, Government Press, Aishbagh, Lucknow along with C.D. with a request to publish in the extra-ordinary gazette and send 25 copies to this department.
- 11- Guard File./ Forest & wild life section-1,2,3,5 Government of UP.

*Sanjaya Singh*  
(Sanjaya Singh)  
Secretary

No-130(2)14/4-2019 Dt. as above

Copy also to the following for information:

- 1- Secretary, Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Government of India, Indira Paryavaran Bhavan, Jor Bagh Road, New Delhi-110003.

*Sanjaya Singh*  
(Sanjaya Singh)  
Secretary

संख्या- 334 / 14-1-2019-48 / 2017

लखनऊ: दिनांक: 28 फरवरी, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा-4 की उपधारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य की लोकलेखा के ब्याज अर्जित करने वाले खण्ड के अधीन मुख्य शीर्ष 8121-"सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ" के अन्तर्गत लघु शीर्ष "129-राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि (एस0सी0ए0एफ0)" के अधीन "राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि-उत्तर प्रदेश" के नाम से ज्ञात एक विशेष निधि के रूप में स्थापित किये जाने की अधिसूचना संख्या-130/14-4-2019-144जी/2018 दिनांक 22.02.2019 वन एवं वन्य जीव अनुभाग-4 के द्वारा जारी की गयी है।

2- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, (वन संरक्षण प्रभाग) नई दिल्ली द्वारा प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि के सम्बन्ध में निर्गत की गयी अधिसूचना संख्या-562 दिनांक 10.10.2018 (The Compensatory Afforestation Fund Act, 2018) के नियम, 17 (2) के तहत राज्य प्राधिकरण के गैर सरकारी सदस्यों के चयन हेतु वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-28/14-1-2019-144जी/2018 दिनांक 17.01.2019 द्वारा चयन समिति का गठन निम्नानुसार किया गया है:-

1	मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव, वन एवं वन्यजीव विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
3	प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0, शासन।	सदस्य
4	प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।	सदस्य
5	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ0प्र0, लखनऊ।	सदस्य
6	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संबंधित प्रादेशित कार्यालय का अध्यक्ष	सदस्य
7	मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कैम्पा, उ0प्र0 लखनऊ	सदस्य सचिव

3- उक्तानुसार गठित चयन समिति एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन संरक्षण प्रभाग) की अधिसूचना दिनांक 10.08.2018 द्वारा निर्गत प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम, 2018 के तहत मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राज्य प्राधिकरण का पद सृजित होने तथा नियमित नियुक्ति होने/अग्रिम आदेशों तक श्री सुनील कुमार दुबे, भा0व0से0 मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा को मुख्य कार्यपालक अधिकारी राज्य प्राधिकरण के रूप में अस्थायी रूप से तैनात किया जाता है। इस हेतु इन्हें अन्य कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ता देय नहीं होगा।

कल्पना अवस्थी  
प्रमुख सचिव।

संख्या- 334 (1)/14-1-2019-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-सचिव, भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली।

रैफ  
1/3/19

Case

5/3/19


Fund file

1532

(Camp)

- 2-महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज/केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
- 3-प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ० प्र० लखनऊ।
- 4-वित्त नियंत्रक कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र० लखनऊ।
- 5-सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र० लखनऊ।
- 6-समस्त अनुभाग वन एवं वन्य जीव विभाग, उ०प्र० शासन।
- 7-सम्बन्धित कम्प्यूटर सहायक को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 8-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

  
(नीता चौधरी)  
अनु सचिव।

परम कुतूब  
विश्व मन्दि  
उत्तर प्रदेश शासन।

(4)

सेवा में

1188

20-1-8 (जुनकीयन) 20

प्रमुख वन संरक्षक/प्रमुख वन संरक्षक(वन्य जीव)  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० वन निगम, लखनऊ।

वन अनुभाग-1

लखनऊ, दिनांक 26 फरवरी, 2008

विषय- भारतीय वन सेवा, उत्तर प्रदेश संवर्ग के विभिन्न वेतनमानों में निःसंवर्गीय पदों का सृजन।

नहोदय,

भारतीय वन सेवा, उत्तर प्रदेश संवर्ग में विभिन्न वेतनमानों में निम्नलिखित निःसंवर्गीय अस्थायी पदों को दिनांक 29-2-08 तक की अवधि, यदि उसके पूर्व ही यह पद, समाप्त न कर दिया जाय, के लिए सृजित किये जाने की महत्वाकांक्षित व्यवस्था, उद्देश्य स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

अ- अग्र प्रमुख वन संरक्षक (वेतनमान 22400-24500)

- (1) अग्र प्रमुख वन संरक्षक, आई०टी०
- (2) अग्र प्रमुख वन संरक्षक, आडिट एवं नान प्लान

ब- मुख्य वन संरक्षक (वेतनमान 18400-22400)

- (1) मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल
- (2) मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल
- (3) मुख्य वन संरक्षक, आगरा मण्डल
- (4) मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल
- (5) मुख्य वन संरक्षक, भू अभिलेख एवं बन्दोबस्त, लखनऊ
- (6) मुख्य वन संरक्षक, सुरक्षा एवं सतर्कता तथा मुख्य सतर्कता अधिकारी
- (7) मुख्य वन संरक्षक, वित्त एवं लेखा परीक्षा, लखनऊ
- (8) मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ

ग- वन संरक्षक (वेतनमान 18400-20000)

- (1) वन संरक्षक, सिल्वा, कानपुर
- (2) वन संरक्षक, सिल्वा, बरेली
- (3) वन संरक्षक, सिल्वा, राननगर, वाराणसी
- (4) वन संरक्षक, कार्ययोजना-1
- (5) वन संरक्षक, कार्ययोजना-2
- (6) वन संरक्षक, कार्ययोजना-3
- (7) वन संरक्षक, कार्ययोजना-4
- (8) वन संरक्षक/निदेशक, कानपुर प्रागि उद्यान
- (9) वन संरक्षक/निदेशक, लखनऊ प्रागि उद्यान, लखनऊ

8654

F(R)

W

P

7/2

F(R)

27/02/08



- (10) वन संरक्षक, अनुश्रवण, विन्ध्य, रामनगर, बारायत.
- (11) वन संरक्षक, अनुश्रवण, तराई, बरेली
- (12) वन संरक्षक, अनुश्रवण, नैदाती, कानपुर
- (13) वन संरक्षक, लुप्तप्राय परियोजना, लखनऊ


2- मुख्य वन संरक्षक, संयुक्त वन प्रबन्ध, लखनऊ का वर्तमान पदनाम परिवर्तित कर मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर मण्डल किया जाता है।

3- उपर्युक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप वन संरक्षक, गोरखपुर वृत्त, वन संरक्षक, मिर्जापुर वृत्त, वन संरक्षक, अवध वृत्त, वन संरक्षक, कानपुर वृत्त तथा वन संरक्षक, आगरा वृत्त के पदों को आगामी कौडर रिक्त होने तक आस्थगित रखा जाता है। इसके फलस्वरूप उक्त वृत्तों के वन संरक्षक के कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन संबंधित मुख्य वन संरक्षकों द्वारा किया जायेगा जिसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन/भत्ते अथवा अन्य कोई लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

4- उक्त कार्यवाही के फलस्वरूप इस हेतु अतिरिक्त सपोर्टिंग स्टाफ के सृजन की माँग नहीं की जायेगी।

5- उक्त पदों में से मुख्यालय स्तर के पदों के संदर्भ में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-60 के लेखाशीर्षक-2406-वानिकी तथा वन्य जीव, 01-वानिकी, 001-सामान्य निदेशन तथा प्रशासन, 03-निदेशन, 00, तथा वन विभाग के फोल्ड स्तर के पदों के संदर्भ में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-60 के लेखाशीर्षक-2406-वानिकी तथा वन्य जीव, 01-वानिकी, 001-सामान्य निदेशन तथा प्रशासन, 04-अधिष्ठान, 00 के नामे डाला जायेगा।


6- उक्त आदेश वित्त विभाग के अज्ञातकीय संख्या-ई-7-227/दस-2008 दिनांक 06 फरवरी, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
  
 (पवन कुमार)  
 विशेष सचिव।

संख्या-577 (1)/14-1-2008-30(11)/2006 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी०जी०ओ० काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
- 2- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।
- 3- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- समस्त मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7

आज्ञा से  
  
 (देव प्रताप सिंह)  
 उप सचिव।



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 718]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 18, 2009/अग्रहायण 27, 1931

No. 718]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 18, 2009/AGRAHAYANA 27, 1931

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2009

सा.का.नि. 905(अ).—भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1966 के नियम 4 के उप नियम 2 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्श से भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1966 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (i) ये विनियम भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) आठवां संशोधन विनियमावली, 2009 कहलाएंगे।

(ii) ये सरकारों राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1966 की अनुसूची में 'उत्तर प्रदेश' शीर्षक और इसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

उत्तर प्रदेश

राज्य सरकार के अन्तर्गत वरिष्ठ इयूटी पद	133
प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष	1
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव अधिकारक	1

1042445/2023/NA  
(b) In  
Service  
to pa  
name

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, परियोजना	
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना, इन्फ्रस्ट्रक्चर और प्रशिक्षण	
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना और वृत्ति वाजिदगी	
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, लेखा परीक्षा और वार-वोजना	
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सूचना प्रौद्योगिकी	
मुख्य वन संरक्षक (डिवीजनल) लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, मिर्जापुर	
मुख्य वन संरक्षक-(प्रादेशिक) पूर्वी क्षेत्र गोरखपुर, दक्षिण क्षेत्र इलाहाबाद, बुंदेलखण्ड क्षेत्र झांसी, पश्चिम क्षेत्र मेरठ, सहैलखण्ड क्षेत्र बरेली, केंद्रीय क्षेत्र लखनऊ, आगरा क्षेत्र, आगरा	
मुख्य वन संरक्षक/निदेशक वन प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर	
मुख्य वन संरक्षक/निदेशक वन अनुसंधान संस्थान, कानपुर	
मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन (अराजपत्रित)	
मुख्य वन संरक्षक, न्यायालय मामले	
मुख्य वन संरक्षक, ईको-विकास	
मुख्य वन संरक्षक, वन प्रबंधन	संरक्षण वन प्रबंधन
मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना	
मुख्य वन संरक्षक, नीति विश्लेषण और समन्वय	
मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन (राजपत्रित)	
मुख्य वन संरक्षक, निगरानी और मूल्यांकन	अनुसंधान
मुख्य वन संरक्षक, योजना	
मुख्य वन संरक्षक, परियोजना	
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम, 1980	
मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्र निदेशक, दुधवा राष्ट्रीय पार्क	
मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास	
मुख्य वन संरक्षक, विस्तार और प्रचार	
मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव (पूर्वी) इलाहाबाद	
मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव (पश्चिमी) मेरठ	
मुख्य वन संरक्षक, वित्त और लेखा परीक्षा	
मुख्य वन संरक्षक, भू-अभिलेख और व्यवस्थापन	वन संरक्षण
मुख्य वन संरक्षक/सुरक्षा और सतर्कता	
मुख्य वन संरक्षक, सीएएमपीए	
वन संरक्षक (प्रादेशिक) इलाहाबाद, आजमगढ़, बरेली, चित्रकूटधाम, बांदा, देवीपत्तन, गोंडा, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, फैजाबाद, वाराणसी, झांसी, बरेली एवं आगरा	13

Note:  
GSR  
No.6

	वन संरक्षक (प्रादेशिक) अलीगढ़ मण्डल	1
	वन संरक्षक/कार्य योजना अधिकारी	4
	वन संरक्षक, वनवृक्ष विज्ञानी-कानपुर, बरेली, वाराणसी	3
	वन संरक्षक/निदेशक राष्ट्रीय प्राणी-विज्ञान पार्क, कानपुर	1
	वन संरक्षक, निगरानी, विंध्य वाराणसी	1
	वन संरक्षक, निगरानी, तराई बरेली	1
	वन संरक्षक, निगरानी, प्लेन्स कानपुर	1
	वन संरक्षक, एक्सटिंक्ट परियोजना लखनऊ	1
	उप वन संरक्षक (प्रादेशिक)-आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, लखनऊ, आजमगढ़, अन्बेडकर नगर, बदायूं, बेहराइच, बलिया, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, विजनाौर, बुलंदशहर, झांसी, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हनीरपुर, हरदोई, जौनपुर, कानपुर, ललितपुर, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, महोबा, उत्तर खैरी, दक्षिण खैरी, आंबरा, सामाजिक वानिकी मण्डल, पीलीभीत, प्रद्वाना (खैरीनगर), प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, रेनुकूट, सहारनपुर, शाहजहांपुर, झरिया (जालौन), सीतापुर, सोनभद्र, पीलीभीत, सुल्तानपुर, शिवालिक, उन्नाव, वाराणसी, काशी वन्यजीव, कतरनियायाट, वन्यजीव-बेहराइच, सोहेल्वा वन्य जीव, सोहानीबड़ेवा वन्यजीव, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, गौतमबुद्धनगर (नोयडा)	66
	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ के उप वन संरक्षक	1
(1)	कुल कनिष्ठ इम्प्टी पद	133
(2)	केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद '1' के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं	26
(3)	राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद '1' के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं	33
(4)	प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद '1' के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं	04
(5)	छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद '1' के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं	21
(6)	भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियमावली, 1966 (उपर्युक्त 1, 2, 3 और 4 मदों के 33.3 प्रतिशत से अधिक नहीं) के नियम 9 के अंतर्गत पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद	65
(7)	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (उपर्युक्त मद 1+2+3+4+5-6)	152
	कुल प्राधिकृत संख्या (उपर्युक्त मद 6+7)	217

[क्र. सं. 16016/05/2009-अ.भा.सं.-II (क)]

हरिस चन्द्र राय, डेप्युटी अधिकारी

टिप्पणी-1 :- इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व, कुल प्राधिकृत संख्या 199 थी।

विवरण-2 :— मुख्य विनियम अधिनियम 1966-अभासे.(iv) तारीख 30.10.1966 द्वारा साकानि सं. 1672 के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 31.10.1966 में अधिसूचित किए गए थे और भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियंत्रण) विनियमावली, 1966 में नीचे दी गई साकानि सं. द्वारा संशोधित की गई:-

क्र.सं.	सा.का.नि. सं.	प्रकाशन की तारीख	क्र.सं.	सा.का.नि. सं.	प्रकाशन की तारीख
1	1673	30.10.66	43.	31अ	23.1.81
2	17	7.1.67	44.	84(अ)	27.2.81
3	653	6.5.67	45.	456(अ)	9.5.81
4	654	6.5.67	46.	360(अ)	23.5.81
5	689	13.5.67	47.	276(अ)	2.6.81
6	1083	8.6.68	48.	386(अ)	9.6.81
7	1887	9.8.69	49.	602(अ)	16.11.81
8	80	17.1.70	50.	604(अ)	17.11.81
9	485	21.3.70	51.	653(अ)	10.12.81
10	545	4.4.70	52.	657(अ)	11.12.81
11	1802	24.10.70	53.	294(अ)	1.4.82
12	135	24.1.75	54.	354(अ)	26.4.82
13	136	24.1.71	55.	356(अ)	27.4.82
14	665	8.5.71	56.	778(अ)	31.5.82
15	45(अ)	20.1.72	57.	530(अ)	20.8.82
16	47(अ)	20.1.72	58.	24अ	12.1.83
17	48(अ)	20.1.72	59.	126(अ)	28.2.85
18.	478(अ)	4.12.72	60.	308(अ)	26.3.85
19.	192(अ)	2.4.73	61.	327अ	29.3.85
20.	321(अ)	27.6.73	62.	489अ	12.6.85
21.	391(अ)	10.8.73	63.	266	12.4.86
22.	142	24.1.71	64.	654	30.8.86
23.	28(अ)	8.5.71	65.	763	20.9.86
24.	273(अ)	11.1.72	66.	798	27.9.86
25.	300(अ)	20.1.72	67.	796	27.9.86
26.	812	29.4.72	68.	835	4.10.86
27.	2227	16.8.75	69.	837	4.10.86
28.	71	17.1.76	70.	880	18.10.86

Note  
GSF  
No.f

29.	407(अ)	16.6.76	71.	164	14.3.87
30.	1064	24.7.76	72.	407	30.5.87
31.	444 (अ)	6.7.76	73.	619	15.3.87
32.	750 (अ)	3.8.76	74.	802	31.10.87
33.	93 (अ)	26.2.77	75.	826	7.11.87
34.	631 (अ)	5.10.77	76.	835	14.10.87
35.	13 (अ)	6.1.78	77.	836	14.11.87
36.	360(अ)	13.7.78	78.	432अ	6.4.88
37.	436(अ)	29.8.78	79.	546अ	4.5.88
38.	486(अ)	25.8.80	80.	834अ	3.8.88
39.	562(अ)	30.9.80	81.	352अ	10.3.89
40.	626अ	3.11.80	82.	553अ	16.5.89
41.	631अ	4.11.80	83.	455	1.7.89
42.	21अ	17.1.81	84.	832	11.11.89

85.	916	16.12.89	121	741अ	31.12.97
86.	933	30.12.89	122	40	29.1.98
87.	590	22.9.90	123	617अ	14.1.98
88.	603	29.9.90	124	372	10.12.99
89.	728	8.12.90	125	374	10.12.99
90.	730	8.12.90	126	824अ	21.10.2000
91.	125(अ)	5.3.91	127	827अ	21.10.2000
92.	246	13.4.91	128	830अ	21.10.2000
93.	473	24.8.91	129	141	27.4.2002
94.	527	14.9.91	130	143	27.4.2002
95.	565	5.10.91	131	139	27.4.2002
96.	584	19.10.91	132	145	27.4.2002
97.	538(अ)	6.8.93	133	147	27.4.2002
98.	685(अ)	4.11.93	134	372	21.9.2002
99.	687(अ)	4.11.93	135	173	26.4.2003
100.	514	22.10.94	136	34 (अ)	24.01.2006
101.	513	22.10.94	137	287(अ)	16.05.2006
102.	321अ	31.3.95	138	289 (अ)	16.05.2006
103.	213	29.4.95	139	562(अ)	15.09.2006

104.	NA-1/27/2023-NA	10.6.95	140	564(अ)	15.09.20
105.	264	6.6.95	141	566(अ)	15.09.2006
106.	339	22.7.95	142	724(अ)	23.11.2006
107.	375	12.8.95	143	703(अ)	12.08.2007
108.	480	18.11.95	144	765(अ)	12.12.2007
109.	479	18.11.95	145	609(अ)	26.08.2008
110	503	2.12.95	146	109(अ)	21.02.2008
111	537	9.12.95	147	610(अ)	26.08.2008
112	75अ	5.2.96	148	716(अ)	03.10.2008
113	77अ	5.2.96	149	748(अ)	21.10.2008
114	231	8.6.96	150	190(अ)	24.03.2009
115	233	8.6.96	151	193(अ)	24.03.2009
116	589अ	26.12.96	152	498(अ)	07.07.2009
117	587अ	26.12.96	153	500(अ)	07.07.2009
118	585अ	26.12.96	154	502(अ)	07.07.2009
119	17अ	17.1.97	155	504(अ)	07.07.2009
120	413	20.12.97	156	506(अ)	07.07.2009

Note  
GSF  
No.6

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2009

G.S.R. 905(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule 2 of rule 4 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966 the Central Government in consultation with the Government of Uttar Pradesh hereby makes the following regulations further to amend the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1966 namely:-

1. (i) These Regulations shall be called the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Eighth Amendment Regulations, 2009.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Forest Service ((Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1966, for the heading "Uttar Pradesh" and the entries occurring there under, the following shall be substituted, namely:-

## UTTAR PRADESH

Senior Duty Posts under the State Government	133
Principal Chief Conservator of Forests & Head of Department	1
Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife)/Chief Wildlife Warden	1
Additional Principal Chief Conservator of Forests, Project	1
Additional Principal Chief Conservator of Forests, Working Plan, Research and Training	1
Additional Principal Chief Conservator of Forests, Planning & Agro Forestry	1
Additional Principal Chief Conservator of Forests, Audit & Non-Plan	1
Additional Principal Chief Conservator of Forests, Information Technology	1
Chief Conservator of Forests (Divisional) Lucknow, Kanpur, Gorakhpur, Mirzapur	4
Chief Conservator of Forests (Territorial) - Eastern Region Gorakhpur, Southern Region Allahabad, Bundelkhand Region Jhansi, Western Region Meerut, Ruhelkhand Region Bareilly, Central Region Lucknow, Agra Region, Agra	7
Chief Conservator of Forests/Director Forests Training Institute, Kanpur	1
Chief Conservator of Forests/Director Forests Research Institute, Kanpur	1
Chief Conservator of Forests, Administration (Non-Gazetted)	1
Chief Conservator of Forests, Court Cases	1
Chief Conservator of Forests, Eco-Development	1
Chief Conservator of Forests, Forests Forest Management	1
Chief Conservator of Forests, Working Plan	1
Chief Conservator of Forests, Policy Analysis & Co-ordination	1
Chief Conservator of Forests, Administration (Gazetted)	1
Chief Conservator of Forests, Monitoring & Evaluation	1
Chief Conservator of Forests, Planning	1
Chief Conservator of Forests, Project	1
Chief Conservator of Forests/Nodal Officer Forest Protection Act, 1980	1
Chief Conservator of Forests/Field Director, Dudhwa National Park	1
Chief Conservator of Forests, Human Resource Development	1



## NA-1/27/2023-NA

Chief Conservator of Forests, Extension & Publicity	1
Chief Conservator of Forests, Wildlife (Eastern) Allahabad	1
Chief Conservator of Forests, Wildlife (Western) Meerut	1
Chief Conservator of Forests, Finance & Accounts Audit	1
Chief Conservator of Forests, Land Records & Settlement	1
Chief Conservator of Forests/Security & Vigilance	1
Chief Conservator of Forests, CAMPA	1

Conservator of Forests (Territorial) - Allahabad, Azamgarh, Basti, Chitrakutdham Banda, Devipattan Gonda, Moradabad, Meerut, Saharanpur, Faizabad, Varanasi, Jhansi, Bareilly & Agra.	13
Conservator of Forests (Territorial) Aligarh Circle	1
Conservator of Forests/Working Plan Officer	4
Conservator of Forests, Silviculturist-Kanpur, Bareilly, Varanasi	3
Conservator of Forests/Director National Zoological Park, Kanpur	1
Conservator of Forests, Monitoring, Vindhya Varanasi	1
Conservator of Forests, Monitoring, Terai Bareilly	1
Conservator of Forests, Monitoring, Plains Kanpur	1
Conservator of Forests, Extinct Project Lucknow	1

Deputy Conservator of Forests (Territorial) - Agra, Aligarh, Allahabad, Lucknow, Azamgarh, Ambedkarnagar, Badaun, Beharaich, Ballia, Banda, Barabanki, Bareilly, Basti, Bijnore, Bulandshaher, Jhansi, Chitrakoot, Deoria, Etah, Etawah, Faizabad Farrukhabad, Fatehpur, Firozabad, Gaziabad, Gazipur, Gonda, Gorakhpur, Hamirpur, Hardoi, Jaunpur, Kanpur, Lalitpur, Mainpuri, Mathura, Meerut, Mirzapur, Moradabad, Muzaffarnagar, Mahoba, North Kheri, South Kheri, Obra, Social Forestry Division, Pilibhit, Padrauna (Kushinagar), Pratapgarh, Raibareilly, Rampur, Renukoot, Saharanpur, Shahjahanpur, Oria (Jalaun), Sitapur, Sonbhadra, Pilibhit, Sultanpur, Shivalik, Unnao, Varanasi, Kashi Wildlife, Katarniaghat, Wildlife Beharaich, Sohelwa Wildlife, Sohagibarwa Wildlife, Shrawasti, Sidharthanagar, Gautambudhnagar (Noida)	66
Deputy Conservator of Forests to Principal Chief Conservator of Forests, Lucknow.	1

(1) Total Senior Duty Posts	133
(2) Central Deputation Reserve not exceeding 20 % of Item 1 above	26
(3) State Deputation Reserve not exceeding 25 % of Item 1 above	33

(4)	Training Reserve not exceeding 3.5 % of Item 1 above	04
(5)	Leave Reserve and Junior Post Reserve not exceeding 16.5 % of Item 1 above	21
(6)	Posts to be filled by Promotion under Rule 9 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966 not exceeding 33.3% of items 1, 2, 3 & 4 above	65
(7)	Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1+2+3+4+5 - 6 above)	152
	<b>Total Authorized Strength (Items 6 + 7 above)</b>	<b>217</b>

[F. No. 16016 05 2009-AIS-II (A)]  
HARISH C. RAI, Desk Officer

Note-1:-Prior to the issue of this Notification, the total authorized strength of the IFS Cadre of Uttar Pradesh was 199.

Note 2:-The Principal Regulations were notified vide notification No.6/1/66-AIS(IV), dated 30.10.1966 as GSR No.1672 in the Extraordinary Gazette of India dated 31.10.1966 and Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1966 have been amended, vide GSR Nos. given below:

S. No.	GSR No.	Date of Publication	S. No.	GSR No.	Date of Publication
1	1673	30.10.66	32	750 (E)	3.8.76
2	17	7.1.67	33	93 (E)	26.2.77
3	653	6.5.67	34	631 (E)	5.10.77
4	654	6.5.67	35	13 (E)	6.1.78
5	689	13.5.67	36	360(E)	13.7.78
6	1083	8.6.68	37	436(E)	29.8.78
7	1887	9.8.69	38	486(E)	25.8.80
8	20	17.1.70	39	562(E)	30.9.80
9	485	21.3.70	40	626E	3.11.80
10	545	4.4.70	41	631E	4.11.80
11	1802	24.10.70	42	21E	17.1.81
12	135	24.1.75	43	31E	23.1.81
13	136	24.1.71	44	84(E)	27.2.81
14	665	8.5.71	45	456(E)	9.5.81
15	45(E)	20.1.72	46	360(E)	23.5.81
16	47(E)	20.1.72	47	276(E)	2.6.81
17	48(E)	20.1.72	48	386(E)	9.6.81
18	478(E)	4.12.72	49	602(E)	16.11.81
19	192(E)	2.4.73	50	604(E)	17.11.81
20	321(E)	27.6.73	51	653(E)	10.12.81
21	391(E)	10.8.73	52	657(E)	11.12.81
22	142	24.1.71	53	294(E)	1.4.82
23	28(E)	8.5.71	54	354(E)	26.4.82
24	273(E)	11.1.72	55	356(E)	27.4.82
25	300(E)	20.1.72	56	778(E)	31.5.82
26	812	29.4.72	57	530(E)	20.8.82
27	2227	16.8.75	58	24E	12.1.83
28	71	17.1.76	59	126(E)	28.2.85
29	407(E)	16.3.76	60	308(E)	26.3.85
30	1064	24.7.76	61	327E	29.3.85
31	444 (E)	6.7.76	62	489E	12.6.85

63.	266	12.4.86	74	802	31.10.87
64.	654	30.8.86	75.	826	7.11.87
65.	763.	20.9.86	76.	835	14.10.87
66.	798.	27.9.86	77.	836	14.11.87
67.	796	27.9.86	78.	432E	6.4.88
68.	835	4.10.86	79.	546E	4.5.88
69.	837	4.10.86	80.	834E	3.8.88
70.	880	18.10.86	81.	352E	10.3.89
71.	164	14.3.87	82.	553E	16.5.89
72.	407	30.5.87	83.	455	1.7.89
73.	619	15.3.87	84.	832	11.11.89

85.	916	16.12.89	121	741E	31.12.97
86.	933	30.12.89	122	40	29.1.98
87.	590	22.9.90	123	617E	14.1.98
88.	603	29.9.90	124	372	10.12.99
89.	728	8.12.90	125	374	10.12.99
90.	730	8.12.90	126	824E	21.10.2000
91.	125(E)	5.3.91	127	827E	21.10.2000
92.	246	13.4.91	128	830E	21.10.2000
93.	473	24.8.91	129	141	27.4.2002
94.	527	14.9.91	130	143	27.4.2002
95.	565	5.10.91	131	139	27.4.2002
96.	584	19.10.91	132	145	27.4.2002
97.	538(E)	6.8.93	133	147	27.4.2002
98.	685(E)	4.11.93	134	372	21.9.2002
99.	687(E)	4.11.93	135	173	26.4.2003
100.	514	22.10.94	136	34 (E)	24.01.2006
101.	513	22.10.94	137	287(E)	16.05.2006
102.	321E	31.3.95	138	209 (E)	10.05.2006
103.	213	29.4.95	139	562(E)	15.09.2006
104.	278	10.6.95	140	564(E)	15.09.2006
105.	264	6.6.95	141	566(E)	15.09.2006
106.	339	22.7.95	142	724(E)	23.11.2006
107.	375	12.8.95	143	703(E)	12.08.2007
108.	480	18.11.95	144	765(E)	12.12.2007
109.	479	18.11.95	145	609(E)	26.08.2008
110	503	2.12.95	146	109(E)	21.02.2008
111	537	9.12.95	147	610(E)	26.08.2008
112	75E	5.2.96	148	716(E)	03.10.2008
113	77E	5.2.96	149	749(E)	21.10.2008
114	231	8.6.96	150	190(E)	24.03.2009
115	233	8.6.96	151	193(E)	24.03.2009
116	589E	26.12.96	152	498(E)	07.07.2009
117	587E	26.12.96	153	500(E)	07.07.2009
118	585E	26.12.96	154	502(E)	07.07.2009
119	17E	17.1.97	155	504(E)	07.07.2009
120	413	20.12.97	156	506(E)	07.07.2009

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2009

सा.का.नि. 906(अ).— अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्श से भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्:-

1. (i) ये नियम भारतीय वन सेवा (वेतन) आठवां संशोधन नियमावली, 2009 कहलाएंगे।
- (ii) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में:-

(क) "अनुसूची II-क में, राज्य सरकारों के अंतर्गत भारतीय वन सेवा में समय वेतनमान से ऊपर के वेतन वाले पदों में तालिका में प्रथम कॉलम में आने वाली 'उत्तर प्रदेश' प्रविष्टि और द्वितीय कॉलम में आने वाली तदनुसूची प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित का प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

## उत्तर प्रदेश

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष	80,000 रुपये (नियत)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक	एचएजी-वेतनमान: 75500/- (वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत की दर से)- 80000/-
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, परियोजना	एचएजी वेतनमान: 67000/- (वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत की दर से)- 79000/-
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना, अनुसंधान और प्रशिक्षण	एचएजी वेतनमान: 67000/- (वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत की दर से)- 79000/-

1042445/2023/NA

NA-1/27/2023-NA

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना और कृषि विभाग	एचएजी वेतनमान, 67000/- (वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत की दर से)- 79000/-
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, लेखा परीक्षा और वन-योजना	एचएजी वेतनमान: 67000/- (वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत की दर से)- 79000/-
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सूचना प्रौद्योगिकी	एचएजी वेतनमान: 67000/- (वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत की दर से)- 79000/-
मुख्य वन संरक्षक (डिवीजनल) लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, मिर्जापुर	पीबी-4+जीपी-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक, (प्रादेशिक) पूर्वी क्षेत्र गोरखपुर, दक्षिण क्षेत्र इलाहाबाद, बुंदेलखण्ड क्षेत्र झांसी, पश्चिम क्षेत्र मेरठ, रहलखण्ड क्षेत्र बरेली, केन्द्रीय क्षेत्र लखनऊ, आगरा क्षेत्र, आगरा	पीबी-4+जीपी-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक/निदेशक वन प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर	पीबी-4+जीपी-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक/निदेशक वन अनुसंधान संस्थान, कानपुर	पीबी-4+जीपी-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन (अराजपत्रित)	पीबी-4+जीपी-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक, न्यायालय मामले	पीबी-4+जीपी-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक, ईको-विकास	पीबी-4+जीपी-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक, वन प्रबंधन	पीबी-4+जीपी-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना	पीबी-4+जीपी-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक, नीति विश्लेषण और समन्वय	पीबी-4+जीपी-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन (राजपत्रित)	पीबी-4+जीपी-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक, निगरानी और नूतनांकन	पीबी-4+जीपी-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक, योजना	पीबी-4+जीपी-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक, परियोजना	पीबी-4+जीपी-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम, 1980	पीबी-4+जीपी-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्र निदेशक, दुधवा राष्ट्रीय पार्क	पीबी-4+जीपी-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास	पीबी-4+जीपी-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक, विस्तार और प्रचार	पीबी-4+जीपी-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव (पूर्वी) इलाहाबाद	पीबी-4+जीपी-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव (पश्चिमी) मेरठ	पीबी-4+जीपी-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक, वित्त और लेखा परीक्षा	पीबी-4+जीपी-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक, भू-अभिलेख और व्यवस्थापन	पीबी-4+जीपी-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक/नुरक्षा और सतर्कता	पीबी-4+जीपी-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक, सौराष्ट्र	पीबी-4+जीपी-10000/- रु.
वन संरक्षक (प्रादेशिक) इलाहाबाद, आजमगढ़, बननी	पीबी-4+जीपी-8900/- रु.

चित्रकूटधान: बांदा, देवीपत्तन गोंडा, मुरादाबाद, मेरठ, सन्तोपुर, फैजाबाद, वाराणसी, झांसी, बरेली एवं आगरा	
वन संरक्षक (प्रादेशिक) अलीगढ़ नण्डल	पीबी-4+जीपी-8900/- रु.
वन संरक्षक/कार्य योजना अधिकारी	पीबी-4+जीपी-8900/- रु.
वन संरक्षक, वनवृक्ष विज्ञानी-कानपुर बरेली, वाराणसी	पीबी-4+जीपी-8900/- रु.
वन संरक्षक/निदेशक राष्ट्रीय प्राणी-विज्ञान पार्क, कानपुर	पीबी-4+जीपी-8900/- रु.
वन संरक्षक, निगरानी, विंध्य वाराणसी	पीबी-4+जीपी-8900/- रु.
वन संरक्षक, निगरानी, तराई बरेली	पीबी-4+जीपी-8900/- रु.
वन संरक्षक, निगरानी, प्लेन्स कानपुर	पीबी-4+जीपी-8900/- रु.
वन संरक्षक, लुप्त/परियोजना लखनऊ	पीबी-4+जीपी-8900/- रु.

(ख) अनुसूची-11ख: राज्य सरकार के अधीन भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के पदों जिसमें समय वेतनमान के वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन के पद शामिल हैं की 'उत्तर प्रदेश' प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

उप वन संरक्षक (प्रादेशिक) - आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, लखनऊ, आजमगढ़, अन्वेडकर नगर, बदायूं, बेहराइच, बलिया, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बुलंदशहर, झांसी, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गाजोपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, जौनपुर, कानपुर, ललितपुर, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, निर्जापुर, नुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, महोबा, उत्तर खैरी, दक्षिण खैरी, औबरा, सामाजिक वानिकी मण्डल, पीलीभीत, पदौना (खुशीनगर), पन्ना, रायबरेली, रामपुर, रेनुकुट, सतलुजापुर, साहजपुर, साहजपुर, साहजपुर (जालौन), सीतापुर, सोनभद्र, पीलीभीत, सुल्तानपुर, शिवालिक, उन्नाव, वाराणसी, काशी वन्यजीव, कतरनियाघाट, वन्यजीव बेहराइच, सोहेलवा वन्य जीव, सोहागीबड़वा वन्यजीव, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, गौतमबुद्धनगर (नांयडा)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ के उप वन संरक्षक

[फा. सं. 16016/05/2009-अ.भा.सं.-II (बी)]  
हरीश चन्द्र राय, डेस्क अधिकारी

टिप्पणी :- मुख्य नियम भारत के असाधारण राजपत्र नं. सा.का.नि. सं. 109(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए और बाद में, सा.का.नि. सं. 691(अ) दिनांक 27.09.2008 और साका.नि सं. 588(अ) दिनांक 20.08.2009 द्वारा संशोधित किए गए ।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2009

G.S.R. 906(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) the Central Government in consultation with the Government of Uttar Pradesh hereby makes the following rules further to amend the Indian Forest Service (Pay) Rules, 2007 namely:-

1. (i) These Rules shall be called the Indian Forest Service (Pay) Eighth Amendment Rules, 2009.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Forest Service (Pay) Rules, 2007:-

(a) In "Schedule II- A Posts carrying pay above the Time Scale in the Indian Forest Service under the State Governments" in the Table, for the entry 'Uttar Pradesh' appearing in the first column and the corresponding entry in the second column, the following shall be substituted, namely:

## UTTAR PRADESH

Principal Chief Conservator of Forests & Head of Department	Rs 80,000/- (Fixed)
Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife)/Chief Wildlife Warden	HAG+:Rs.75500 (annual increment @ 3%)-Rs.80000/-
Additional Principal Chief Conservator of Forests, Project	HAG Scale: Rs.67000-(annual increment @ 3%) 79000/-
Additional Principal Chief Conservator of Forests, Working Plan, Research and Training	HAG Scale: Rs.67000-(annual increment @ 3%) 79000/-
Additional Principal Chief Conservator of Forests, Planning & Agro Forestry	HAG Scale: Rs.67000-(annual increment @ 3%) 79000/-
Additional Principal Chief Conservator of Forests, Audit & Non-Plan	HAG Scale: Rs.67000-(annual increment @ 3%) 79000/-
Additional Principal Chief Conservator of Forests, Information Technology	HAG Scale: Rs.67000-(annual increment @ 3%) 79000/-

Deputy Conservator of Forests (Territorial) - Agra, Aligarh, Allahabad, Lucknow, Azamgarh, Ambedkarnagar, Bagpat, Beharain, Balla, Banda, Barabanki, Bareri, Basti, Bijnore, Bulandshahr, Jhansi, Chitrakoot, Deoria, Etah, Etawah, Faizabad, Farrukhabad, Fatehpur, Firozabad, Gaziabad, Gorbun, Gorha, Gorakhpur, Hamirpur, Hardoi, Jaunpur, Kanpur, Lalitpur, Mainpuri, Mathura, Meerut, Mirzapur, Moradabad, Muzaffarnagar, Mahoba, North Kheri, South Kheri, Odra, Social Forestry Division, Pilibhit, Pedrauna (Kushinagar), Pratapgarh, Raibareilly, Rampur, Renikoot, Sanatanpur, Shahjahanpur, Oria (Jalaun), Sitapur, Sonhadra, Pilibhit, Sultanpur, Srivalli, Unnao, Varanasi, Kash, Wildlife, Katarniaghat, Wildlife Beharain, Sohikva Wildlife, Sonagbarwa Wildlife, Shravasti, Sidharthanagar, Gautambudhnagar (Noida)

Deputy Conservator of Forests to Principal Chief Conservator of Forests, Lucknow.

(P. No. 139/155/2009-NISH/IB)  
HARISH C. BAL, Desk Officer

Note: The Principal Rules were published in the Extraordinary Gazette of India, vide GSR No 109(E) dated the 21.02.2008 and subsequently were amended vide GSR No 691(E) dated 27.09.2008 and GSR No. 588(E) dated 20.08.2009.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी 2014

क्र.क्र.वि. 907(अ) - भारतीय वन सेवा (संवर्ग) विनियमावली, 1966 के नियम 4 के उप नियम (2) के साथ पठित, अधिष्ठित भारतीय संघर्ष अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार सिविकन सरकार के परामर्श से भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1966 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (i) इन विनियमों का नाम भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) नौवां संशोधन विनियमावली, 2009 है।
- (ii) ये विनियम राजकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1966 की अनुसूची में निम्नलिखित शीर्षक और इसका नीचे आने वाली प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -



Chief Conservator of Forests (Divisional) Lucknow, Kanpur, Gorakhpur, Mirzapur	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests (Territorial) - Eastern Region Gorakhpur, Southern Region Allahabad, Bundelkhand Region Jhansi, Western Region Meerut, Ruhelkhand Region Bareilly, Central Region Lucknow, Agra Region, Agra	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests/Director Forests Training Institute, Kanpur	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests/Director Forests Research Institute, Kanpur	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests, Administration (Non-Gazetted)	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests, Court Cases	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests, Eco-Development	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests, Forests Forest Management	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests, Working Plan	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests, Policy Analysis & Co-ordination	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests, Administration (Gazetted)	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests, Monitoring & Evaluation	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests, Planning	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests, Project	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests/Nodal Officer Forest Protection Act, 1980	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests/Field Director, Dudhwa National Park	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests, Human Resource Development	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests, Extension & Publicity	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests, Wildlife (Eastern) Allahabad	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests, Wildlife (Western) Meerut	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests, Finance & Accounts, Audit	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests, Land Records & Settlement	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests/Security & Vigilance	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests, CAMPA	PB-4+GP-Rs 10000/-
Conservator of Forests (Territorial) Allahabad, Azamgarh, Basti, Chitrakutdham Banda, Devipattan Gonda, Moradabad, Meerut, Saharanpur, Faizabad, Varanasi, Jhansi, Bareilly & Agra.	PB-4+GP-Rs 8900/-
Conservator of Forests (Territorial) Aligarh Circle	PB-4+GP-Rs 8900/-
Conservator of Forests/Working Plan Officer	PB-4+GP-Rs 8900/-
Conservator of Forests, Silviculturist-Kanpur, Bareilly, Varanasi	PB-4+GP-Rs 8900/-
Conservator of Forests/Director National Zoological Park, Kanpur	PB-4+GP-Rs 8900/-
Conservator of Forests, Monitoring, Vindhya Varanasi	PB-4+GP-Rs 8900/-
Conservator of Forests, Monitoring, Terai Bareilly	PB-4+GP-Rs 8900/-
Conservator of Forests, Monitoring, Plains Kanpur	PB-4+GP-Rs 8900/-
Conservator of Forests, Extinct Project Lucknow	PB-4+GP-Rs 8900/-

(b) In Schedule-II B: Posts carrying pay in the Senior Scale of the Indian Forest Service under the State Governments including posts carrying special pay in addition to pay in the Time Scale for the entry "Uttar Pradesh", the following shall be substituted, namely:



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 410]

No. 410]

नई दिल्ली, बुधवार, जूलाई 16, 2009/आषाढ़ 25, 1931

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 16, 2009/ASADHA 25, 1931

वित्त मंत्रालय

(व्यवस्थापन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जूलाई, 2009

सा.का.नि. 527(अ).— संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा केन्द्रीय सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 में निम्नलिखित संशोधन जारी किया जाता है:

(i) क्र.सं. 32, जो पहली अनुसूची के खंड I, भाग क में पूर्व-संशोधित वेतनमान एस-30 (22400-525-24500 रुपए) के बारे में है, को निम्नवत् संशोधित किया जाएगा:-

मौजूदा वेतनमान			संशोधित वेतन ढांचा		
क्र.सं.	पद/ग्रेड	मौजूदा वेतनमान	वेतन बैंड/ वेतनमान का नाम	अनुरूपी वेतन बैंड/वेतनमान	अनुरूपी ग्रेड वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
32	एस-30	22400-525-24500	एच.ए.जी.	67000 (3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि) 79000	शून्य

(ii) तालिका में आखिरी लाइन पी.बी. 4 (37400-67000 रुपए) जो पहली अनुसूची के खंड II, भाग क में 12000 रुपए के ग्रेड वेतन के बारे में है, को मिटा दिया जाएगा।

[का. सं. 01/01/2008-आई.सी]

मधुलिका पी. सुकुल, संयुक्त सचिव

जी.एस.आर. 622 (ई),

प्राद टिप्पणी: केन्द्रीय सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 को दिनांक 29 अगस्त, 2008/भाद्रपद 7, 1930 के तहत अधिसूचित किया गया था।

2616 GI/2009

(1)

MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Expenditure)  
NOTIFICATION  
New Delhi, the 16th July, 2009

G.S.R. 527(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the following amendment to Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008 is hereby issued:

- (i) Sl.No.32, which relates to the pre-revised scale S-30 (Rs.22400-525-24500) in Section 1, Part A of the First Schedule shall be amended as under:-

(In Rupees)

Present Scale			Revised Pay Structure		
Sl. No.	Post/ Grade	Present Scale	Name of Pay Band/ Scale	Corresponding Pay Bands/ Scales	Corresponding Grade Pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
32	S-30	22400-525-24500	HAG	67000-(annual increment @ 3%)-79000	Nil

- (ii) The last row in the table PB-4 (Rs.37400-67000) which relates to grade pay of Rs.12000 in Section II, Part A of the First Schedule shall be deleted.

[F. No. 01/01/2008-IC]  
MADHULIKA P. SUKUL, Jt. Secy.

Foot Note: The Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008 were notified vide G.S.R. 622(E) dated the 29<sup>th</sup> August, 2008/Bhadrapada 7, 1930.